निदेशक मण्डल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की
275 वीं बैठक दिनांक 29 अप्रैल, 2026 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 275वीं बैठक मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद श्री पी0 गुरु प्रसाद, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहेः-

1.	श्री पी0 गुरु प्रसाद,	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	अध्यक्ष
2.	डा0 बलकार सिंह,	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3.	डा0 नीरज शुक्ला,	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	संयोजक
4.	श्री दीपक सिंह,	वित्त नियंत्रक ल0वि0प्रा0/प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य
5.	श्री डी0वी0 सिंह,	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6.	श्री महेश चन्द्र पाण्डेय,	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
7.	श्री कृष्ण मोहन,	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
8.	श्री संजीव कश्यप,	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
9	श्री सी0पी0 त्रिपाठी,	अपर सचिव प्रतिनिधि/ उपाध्यक्ष, ल0 वि0 प्रा0, लखनऊ	सदस्य

विषय सूची

मद सं0	विषय	अनुभाग	निर्णय
275/1	परिषद की 274वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर,2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 274वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर,2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
275/2	परिषद की 274वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर,2025 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्देश दिये गये कि अनुपालन आख्या का परीक्षण आवास आयुक्त अपने स्तर से कर आगामी बोर्ड बैठक मे प्रस्तुत करें।
275/3	वित्तीय वर्ष 2024-25 की बैलेन्सशीट/वार्षिक लेखों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	वित्त एवं लेखानुभाग	(1) वर्ष 2024-25 की बैलेन्स शीट/ वार्षिक लेखों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदत्त करते हुये यह निर्देश दिया गया कि वर्ष 2026-27 में लेखांकन को कैश बेसिस के स्थान पर Accrual Basis पर करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाये। (2) वर्ष 2025-26 की बैलेन्स शीट का प्रत्येक दशा में 30 जून तक अन्तिमीकरण करते हुये 31 जुलाई

			तक रिटर्न दाखिल किया जाय। (3) आयकर रिफण्ड के प्रकरण में प्रभावी पैरवी करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जाय। (4) जिन आयकर प्रकरणों में ट्रिब्यूनल या मा0 न्यायालय के आदेश परिषद के पक्ष में हो चुके हैं उनमें धनराशि वापस प्राप्त करने की त्वरित कार्यवाही की जाय। (5) आन्तरिक सम्परीक्षा समिति की बैलेन्स शीट के परीक्षण संबंधी बैठक दिनांक 20.01.2026 में दिये गये निर्देश के क्रम में परिषद के ग्लोबल सेल द्वारा किये जा रहे डिपॉजिट के कार्यों में खण्ड कार्यालयों में प्राप्तियों की सूचना तत्काल मुख्यालय को दी जाय एवं इसके लिये एक SOP बनाते हुये अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। (6) उक्त आन्तरिक सम्परीक्षा समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार परिषद की परिसम्पत्तियों एवं इंवेंट्री के रख-रखाव एवं सत्यापन हेतु एजेंसी का चयन करते हुये कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।
275/4	वित्तीय वर्ष-2025-26 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष-2026-27 हेतु प्रस्तावित आय-व्ययक की व्याख्यात्मक टिप्पणी।	वित्त एवं लेखानुभाग	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तुत आय-व्ययक पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। (1) प्रस्तावित प्रशासनिक व्यय 10% की सीमा से अधिक है। इसका पुनः परीक्षण करते हुये 10% की सीमा में रखा जाय। (2) भूमि अर्जन में प्रस्तावित व्यय का पुनः परीक्षण कर लिया जाय। (3) अवशेष आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों के विवरण में विवादित सम्पत्तियाँ कौन सी है उसकी समीक्षा कर ली जाय।
275/5	श्री राकेश चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त निजी सचिव की सेवानिवृत्ति के	प्रशासन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	उपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय में संविदा पर एक वर्ष की अनुबन्धित अवधि समाप्त होने के दृष्टिगत आगामी एक वर्ष हेतु कार्यवधि का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।		
275/6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय में स्थापित विधि अनुभाग में ओ0एस0डी0 विधि का सेवाकाल विस्तारित किये जाने के संबंध में।	प्रशासन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/7	श्री राजेश कुमार मेहतानी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता (अधिशासी अभियन्ता के कार्यों हेतु अधिकृत), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सेवाएं परिषद में ओ.एस.डी. के पद पर अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/8	श्री शिव बहादुर, सेवानिवृत्त चकबन्दी कर्ता, राजस्व विभाग (चकबन्दी) एवं श्री अशोक कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त लेखपाल, राजस्व विभाग (चकबन्दी) को सेवानिवृत्त के पश्चात उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में फिक्स मानदेय पर संविदा पर अनुबन्धित करते हुए 06 माह (दिनांक 01-05-2026 से दिनांक 31-10-2026) हेतु कार्यवधि का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/9	श्री कृपा शंकर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता के स्वयं एवं आश्रित पत्नी की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति रु0 1.00 लाख से अधिक (बिना भर्ती) के दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	समन्वय	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समयों पर जारी शासनादेश के क्रम में मेडिकल दावों के सन्दर्भ में स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
275/10	श्री राज मोहम्मद, सेवानिवृत्त वर्कसुपरवाईजर की आश्रित पत्नी की	समन्वय	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस

	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति रु0 1.00 लाख से अधिक (बिना भर्ती) के दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के सम्बन्ध में।		सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समयों पर जारी शासनादेश के क्रम में मेडिकल दावों के सन्दर्भ में स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
275/11	श्री शिवकरन, वर्कमेट द्वारा अपने स्वयं की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति रू0 1.00 लाख से अधिक (बिना भर्ती) के दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	समन्वय	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समयों पर जारी शासनादेश के क्रम में मेडिकल दावों के सन्दर्भ में स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
275/12	श्रीमती नेहा सिंह, निदेशक द्वारा अपने आश्रित पुत्र की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति रु0-1.00 लाख से अधिक (बिना भर्ती) के दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	समन्वय	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समयों पर जारी शासनादेश के क्रम में मेडिकल दावों के सन्दर्भ में स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
275/13	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार योजना प्रेमपुर-जंगल कौड़िया, गोरखपुर के अधिग्रहण हेतु परिषद की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिफिकेश किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त योजना का भू उपयोग तथा वास्तविक मांग आदि का परीक्षण कर पुनः बोर्ड में प्रस्तुत करें।
275/14	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित जनपद-बस्ती में लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 के समीप (राजकीय इंजीनियरिंग कालेज के सामने) भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-02, बस्ती के अधिग्रहण हेतु परिषद की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त योजना का भू उपयोग तथा वास्तविक मांग का परीक्षण कर पुनः बोर्ड में प्रस्तुत करें।

275/15	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित जनपद-संतकबीर नगर में खलीलाबाद-बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-01, संतकबीर नगर ग्राम चकमदारूल्ला उर्फ मलोरना के अधिग्रहण हेतु परिषद की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त योजना का भू उपयोग तथा वास्तविक मांग का परीक्षण कर पुनः बोर्ड में प्रस्तुत करें।
275/16	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-11, सहारनपुर के अधिग्रहण हेतु परिषद की धारा-28 की नोटिफिकेशन किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त योजना का भू उपयोग एवं वास्तविक मांग का परीक्षण कर पुनः बोर्ड में प्रस्तुत करें।
275/17	बरेली शहर में प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बरेली, शाहजहाँपुर मुख्य बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग, रामपुर रोड परसाखेड़ा बरेली में धारा-33 के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मौके की वर्तमान स्थिति का आंकलन कर सुपरइम्पोज मैप के साथ पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।
275/18	जनपद-वाराणसी में प्रस्तावित "जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान पूरक योजना" की नियोजन समिति द्वारा की गयी कार्यवाही तथा परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अन्तर्गत अनुमोदन के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/19	काशीद्वार भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना वाराणसी में आपसी समझौते से भूमि क्रय किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि दर के अनुमोदनार्थ बाईसर्कुलेशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नवत है।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
275/20	गोरखपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मऊ में भूस्वामियों से आपसी समझौते से भूमि क्रय किये जाने हेतु दर निर्धारण के सम्बन्ध में	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	दिनांक 29-01-2026 को जिलाधिकारी कार्यालय सभागार, मऊ में आयोजित बैठक के सम्बन्ध में।		
275/21	उन्नाव भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-03, उन्नाव की धारा-28 के क्षेत्रफल-581.48 एकड़ में से अवशेष क्षेत्रफल-459.0530 एकड़ भूमि पर योजना संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश तथा पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाए।
275/22	परिषद की मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद की सीमा से 500 मीटर की परिधि में चित्रा रियलकॉन प्रा0लि0 द्वारा निजी औद्योगिक पार्क (PLEDGE) योजना नीति-2022 के अन्तर्गत पार्क विकसित किये जाने हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के अनुरोध क्रम में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया कि नियमों के आलोक में पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत किया जाय।
275/23	परिषद की अजन्तापुरम (लोनी रोड) भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजियाबाद की 07 नग सहकारी आवास समितियों की समायोजित भूमि के सम्बन्ध में निर्गत समायोजन आदेशों में उल्लिखित नियम शर्तों को संशोधित किये जाने हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त शासनादेश 2002 तथा पूर्व में अनुमोदित शर्तें तथा वर्तमान प्रस्तावित शर्तों के तुलनात्मक चार्ट तैयार करते हुए पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाए।
275/24	जनपद-वाराणसी में प्रस्तावित काशीद्वार भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार योजना की नियोजन समिति द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव तथा परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/25	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित हेतापट्टी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना,	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि योजना को फेजवार चलाने एवं एरिया के बारे मे

	प्रयागराज के अधिग्रहण हेतु परिषद की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन किये जाने के सम्बन्ध में।		पुर्न विचार कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।
275/26	परिषद की शास्त्री नगर योजना सं0-7 मेरठ के लेआउट संशोधन हेतु प्राप्त आपत्ति/सुझाव के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना वाद (सिविल) सं0-877/2025 लोकेश खुराना बनाम राजेन्द्र कुमार बड़जात्या एवं अन्य में पारित आदेश के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जाय।
275/27	परिषद की सत्यवानपुर कटरा योजना, बस्ती में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या-11/3/9 व 11/3/10 को नवीन भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के आलोक में स्थल पर किये गये निर्माण के शमन व भूखण्डों को एक्जाई करते हुए व्यवसायिक उपयोग अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्रश्नगत भूखण्डों के शमन मानचित्र स्वीकृति में उपविधि 2025 के अनुसार वांछित सेटवैक का प्राविधान सुनिश्चित किया जाये।
275/28	परिषद की लोहियापुरम, योजना संख्या-01, फतेहगढ़ फर्रूखाबाद में लेआउट संशोधन के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/29	मझोला यो0सं0 04, भाग 02, मुरादाबाद के सेक्टर-05 में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 जी0एच0 05/01, एवं भूखण्ड सं0-जी0एच0 05/02, को ले-आउट मानचित्र में संस्थागत उपयोग अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/30	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री राजवीर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरूद्ध गठित विभागीय जांचों को 'सिविल सर्विसेज रेगुलेशन्स अनुच्छेद 351-ए' के अन्तर्गत परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/31	मा0 परिषद की 273वीं बैठक दिनांक 09-10-2025 के मद संख्या 273/9 एवं 274वीं बैठक दिनांक 26-12-2025 के मद संख्या 274/16 पर	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	प्रस्तुत श्री राजीव कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय जाँच गठित किये जाने के सम्बन्ध में।		
275/32	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री गिरधारी लाल मिश्रा, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी, लेखानुभाग मुख्यालय लखनऊ के विरूद्ध गठित विभागीय जांच को 'सिविल सर्विसेज रेगुलेशन्स अनुच्छेद 351-ए' के अन्तर्गत परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/33	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री खलील अहमद सिद्दीकी, सेवानिवृत्त आशुलिपिक, निर्माण खण्ड लखनऊ-07, वृन्दावन योजना लखनऊ के विरूद्ध गठित विभागीय जाँच को 'सिविल सर्विसेज रेगुलेशन्स अनुच्छेद 351-ए' के अन्तर्गत परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। जॉच कार्यवाही 02 माह में पूर्ण की जाये।
275/34	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में आदर्श कास्टिंग गाईड लाइन्स (मूलभूत सिद्धांत) 2025 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	मूल्यांकन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/35	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु परिषद योजनाओं की विकसित भूमिदर के पुनर्निधारण के सम्बन्ध में।	मूल्यांकन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:- (1) अपूर्ण योजनाओं, पूर्णतया विकसित अथवा नगर निगम को हस्तांतरित योजनाओं में कास्टिंग गाइडलाइन्स के अनुसार अनुमन्य भूमि दर पर सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाये। (2) पूर्णतया विकसित अथवा नगर निगम को हस्तांतरित योजनाओं में जहॉ परिषद भूमि दर सर्किल रेट से पहले ही अधिक है, वहॉ भूमि दरें यथावत रखी जाय। (3) सेल पर विक्रय हेतु घोषित फ्लैट्स

			एवं G+3 भवनों में भूमि दर को यथावत रखा जाये। (4) शेष योजनाएं जिनमें वृद्वि कास्टिंग गाइडलाइन्स के अनुसार नही की जा रही है उनका पूर्ण औचित्य सहित समिति के माध्यम से परीक्षण कराकर पुनः बोर्ड के समक्ष रखा जाय।
275/36	परिषद की विभिन्न योजनाओं में निर्मित व परिषद द्वारा संचालित सामुदायिक केन्द्रों को निजी संस्थाओं को निर्धारित अवधि के लिये वार्षिक किराया लेते हुए लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	अभियन्त्रण	मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि – (1) क्रमांक-01 से 10 तक के सामुदायिक केन्द्रों की वैल्यू में गत बोर्ड बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव से वृद्वि की गई है। (2) क्रमांक-17 पर अंकित सामुदायिक केन्द्र हेतु 255वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तावित विड वैल्यू के अनुसार 5.00 लाख रखा जाय। (3) गत बैठक में प्रस्तुत नियम एवं शर्तो में कोई परिवर्तन नही किया गया है। मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर उपरोक्तानुसार सर्व सम्मति से विचार करते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/37	दिलशाद गार्डेन (दिल्ली) से नया बस अड्डा शहीद स्थल (गाजियाबाद) तक मेट्रो रेल के विस्तारीकरण परियोजना के कार्यो में अवशेष, धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव निम्नवत अनुमोदित किया गया। (1) मैट्रो रेल विभाग की अवशेष धनराशि रू० 20.39 करोड, परिषद द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को वर्तमान में परिषद फण्ड से अवमुक्त कर दिया जाए, जिसे भविष्य में प्राप्त होने वाली अवस्थापना निधि से समायोजित किया जाये। (2) परिषद द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को पूर्व में हस्तांतरित की गयी 50 एकड भूमि के बावत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर परिषद की अवशेष धनराशि के

			सम्बन्ध में शासन में बैठक कराकर समाधान कराया जाये।
275/38	जनपद गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार योजना को वसुन्धरा योजना से जोड़ने हेतु हिण्डन नदी पर सेतु पहुँच मार्ग/अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में का प्रस्ताव।	अभियन्त्रण	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव निम्न शर्तो के साथ अनुमोदितः- (1) सिंचाई विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा जारी एवं स्वीकृत की जाय। (2) मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य पर होने वाले व्यय को प्रश्नगत योजना के विक्रय हेतु अवशेष भूमि पर भारित किया जायेगा, इसके बाद भी भूमि की विक्रयशीलता रहेगी। तद्नुसार अनुमोदित।
275/39	परिषद कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु मा0 परिषद द्वारा पूर्व में प्रदत्त अधिकारों की सीमा में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	अभियन्त्रण	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव निम्न परिवर्तन के साथ अनुमोदित किया गया। आवास आयुक्त की स्वीकृति सीमा 20.00 करोड रखी जाए। शेष स्तर की सीमा यथावत रखी जाये।
275/40	श्री बी0एस0 गुप्ता, सेवानिवृत अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध गठित विभागीय जांच में प्रस्तावित दण्ड की स्वीकृति मा0 परिषद से प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/41	अनुशासनिक कार्यवाही में परिषद की कोटद्वार रोड योजना, नजीबाबाद, बिजनौर में भवनों तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यो के खराब रखरखाव, भवन निर्माण/इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों को पूर्ण कराने तथा आवंटन में हुए विलम्ब की जांच के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/42	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र कुमार, सेवानिवृति सहायक अभियन्ता के विरूद्ध 'सिविल	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	सर्विसेज रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 351-ए' के अन्तर्गत विभागीय जांच गठित किये जाने हेतु मा0 परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।		
275/43	श्री राकेश चन्द्रा, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध गठित विभागीय जांच को 'सिविल सर्विसेज रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 351-ए' के अन्तर्गत परिवर्तित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/44	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री राजीव कुमार, अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध गठित विभागीय जांच को 'सिविल सर्विसेज रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 351-ए' के अन्तर्गत परिवर्तित किये जाने हेतु मा0 परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/45	श्री राजीव कुमार, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध आदेश संख्या 1177/अनुशा0-101/2025 (4099) दिनांक 29-12-2025 एवं आदेश संख्या 362/अनुशा0-23/2018(3387) दिनांक 21-06-2018 द्वारा गठित विभागीय जांचों को 'सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 351-ए' में परिवर्तित किया गया है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति मा0 परिषद से प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/46	श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी के विरूद्ध सिविल सर्विसेज रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 351-ए' के अन्तर्गत	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	विभागीय जांच गठित करने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।		
275/47	श्री गौतम कुमार, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध गठित विभागीय जॉच में उन पर अधिरोपित आरोप सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत 10 प्रतिशत पेंशन रोके जाने का दण्ड प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/48	परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ में स्थित फ्लैट संख्या-HM/C-1/P-1202 के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त दोषी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय। प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
275/49	उत्तर प्रदेश बिजनेस पार्क विकास योजना-2025 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, साथ ही निर्देशित किया गया कि यदि उक्त नीति के प्राविधानों में कोई बिन्दु छूटा है या अस्पष्टता है, वहॉ मा0 निदेशक मण्डल निर्णय लेने हेतु सक्षम होगा।
275/50	परिषद द्वारा वृन्दावन योजना के अन्तर्गत सेक्टर-15 में नियोजित आई0टी0 भूखण्ड संख्या-15/ITP-02 को शासनादेश संख्या-27/2026/713/77-6-2026-01 (निजी बिजनेस पार्क योजना)/2025 दिनांक 24-03-2026 के अनुसार निस्तारण एवं उक्त की आरक्षित दर में वृद्धि के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्तावित भूखण्ड संख्या-15/ITP-02 क्षेत्रफल-84940.64 वर्ग मी0 को एंकर प्लाट मानते हुए प्रस्ताव अनुमोदित। प्रस्तावित भूखण्ड को या प्रस्तावित भूखण्ड के क्षेत्रफल में परिवर्तन हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
275/51	लखनऊ में ए0आई0 सिटी-कम-बिजनेस पार्क के विकास हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड (यू0पी0एल0सी0) द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को प्रेषित समझौता ज्ञापन (एम0ओ0ए0) के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर हेतु वित्त नियंत्रक आवास विकास परिषद को नामित किया जाता है।

275/52	परिषद द्वारा वृन्दावन योजना के अन्तर्गत सेक्टर-15 में नियोजित आई0टी0 भूखण्ड संख्या-15/ITP-03 को शासनादेश संख्या-27/2026/713/77-6-2026-01 (निजी बिजनेस पार्क योजना) /2025 दिनांक 24.03.2026 के अनुसार निस्तारण करने एवं उक्त की आरक्षित दर में वृद्धि के संबंध में।	सम्पत्ति	एंकर प्लाट के रुप में बिन्दु 50 पर प्रस्तावित मद को स्वीकृत किया जा चुका है। अतः प्रस्ताव वापिस लिया जाता है।
275/53	परिषद की रिक्त आवासीय सम्पत्ति/फ्लैट्स को आदर्श कास्टिंग गाइडलाइन्स के बिन्दु संख्या-9.1.1 के अनुसार सेल पर विक्रय हेतु घोषित किए जाने के संबंध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से प्रस्तावित सम्पत्तियों को सेल पर घोषित सम्पत्तियों के मूल्य को फ्रीज किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। कास्टिंग गाइडलाईन के आलोक में कहॉ-कहॉ कितनी छूट दी जानी है या अन्य अनुमन्य कार्य कराये जाने हैं उसका परीक्षण समिति के माध्यम से कराते हुए प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
275/54	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट सी याचिका सं0-17251/2025 शिवस्टेट प्रा0लि0 व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025 एवं Contempt Application (Civil) No-6770 of 2025 Shiv Estates Pvt. Ltd and Another vs Vivek Mishra में पारित आदेश दिनांक 08.04.2026 के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया कि:- (1) भूमि अध्याप्ति अधिकारी से गणना का पुनः परिक्षण करा लिया जाय। (2) अन्य विधिसम्मत विकल्पों पर विचार करते हुए आवश्यकतानुसार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
275/55	परिषद की ऐसी योजनायें जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम-2013 (The Right to Fair Compensation & Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013) के प्रभावी होने के पूर्व से अधिग्रहण हेतु प्रक्रियाधीन है परन्तु अब तक इन योजनाओं का अभिनिर्णय नही घोषित किया जा सका है, के प्रतिकर निर्धारण के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरण जहॉ मा0 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम हो चुका है, उन्ही को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाय।

275/56	परिषद योजनाओं में उपविधि-2025 के अनुसार विभिन्न शुल्को के गणना हेतु सर्किल रेट के स्थान पर परिषद की आवासीय दर के उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि परिषद योजनाओं में भी उपविधि-2025 के अनुसार विभिन्न शुल्को की गणना प्राविधानित सर्किल रेट के अनुसार ही की जाये। परिषद में उपविधि लागू किये जाने की तिथि के पश्चात के प्रकरणों में उपविधि के अनुसार शुल्क की गणना एवं उसका समायोजन किया जाये।
275/57	परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ में स्थित अवध शिल्पग्राम में निर्माणाधीन यूनिटी माल के परिसर के अतिरिक्त अवध शिल्पग्राम के अवशेष एफ0ए0आर0/क्रय योग्य एफ0ए0आर0 का उपभोग किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न निर्णय लिया गया:- • प्रस्ताव के बिन्दु संख्या-1 व 2 का अनुमोदन किया गया। • बिन्दु संख्या-3 के सम्बन्ध में अवध शिल्प ग्राम लखनऊ के अवशेष एफ०ए०आर० के उपयोग को सम्मिलित करते हुए अवशेष भूमि पर कार्मिशियल, होटल या परिषद की आवश्यकता हेतु अन्य कोई भी विकल्प पर निर्णय लेने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
275/58	अवस्थापना निधि के अन्तर्गत जनपद आगरा के सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर-2सी में स्थित 96 नग बहुमंजिले (एस+6) ग्रीन इन्केलेव फ्लैट्स/भवनों का सुदृढ़ीकरण एवं परिसर में अवस्थापना सुविधाएं विकसित किये जाने का कार्य विषयक प्रस्ताव।	अभियन्त्रण	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त सैद्धान्तिक रुप से प्रस्ताव अनुमोदित। भविष्य में उक्त प्रकार के कार्यो की रु० **5.00** करोड की धनराशि की स्वीकृति हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
275/59	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में विधि परार्शदाता के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
275/60	आईटी पार्क विकास हेतु उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क योजना-2025 के अंतर्गत परिषद द्वारा वृन्दावन योजना, सेक्टर-15 स्थित भूखण्ड	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव का सैद्धान्तिक रुप से अनुमोदन इस शर्त के साथ दिया जाता है कि प्रस्ताव में सभी शर्ते मद

	संख्या-15/ITP-03 (कार्नर) के निस्तारण हेतु UPLC द्वारा अनुबंधित Transaction advisor M/S KPMG द्वारा प्रस्तुत Request for Proposal के salient features के अनुमोदन एवं Request for Proposal के अंतिमीकरण हेतु समिति गठित किये जाने के संबंध में।		सं0-50 में अनुमोदित प्लाट के अनुसार परिवर्तित करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाय।
275/61	परिषद की ऐसी योजनायें जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता अधिनियम-2013 (The Right of Fair Compensation & Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013) के प्रभावी होने के पूर्व से अधिग्रहण हेतु प्रक्रियाधीन है परन्तु अब तक इन योजनाओं का अनिनिर्णय नही घोषित किया जा सका हैए के प्रतिकर निर्धारण के सम्बन्ध में। (मात्र मथुरा के सन्दर्भ में)	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त मात्र मथुरा जनपद हेतु इस शर्त के साथ अनुमोदित कि प्रस्ताव पर शासन से भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
275/62	अध्यक्ष महोदय की अनुमति के कोई अन्य विषय।		

अनुमोदित

(पी० गुरु प्रसाद)
अध्यक्ष